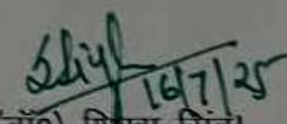


विद्यावती मुकन्दलाल गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद

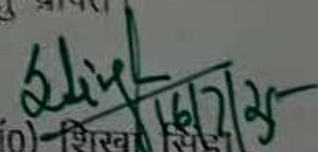
कार्यालय आदेश

महाविद्यालय की समस्त अनुदानित एवं स्वयंसेवक शिक्षिकाओं, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अगस्त मास दिनांक 11.07.2025 से प्रारम्भ होने तथा मुख्य जलामिषेक/शिवरात्रि दिनांक 23.07.2025 को होने के कारण कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय प्रो. प्रो. 4206-14/2025-26 दिनांक 16.07.2025 एवं जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश दिनांक 15.07.2025 के अनुपालन में दिनांक 17.07.2025 से दिनांक 23.07.2025 तक महाविद्यालय में अवकाश रहेगा। दिनांक 24.07.2025 को महाविद्यालय यथावत् खुलेगा।


[प्रो (डॉ०) शिखा सिंह]
Principal
vidyavatiMukandlal Girls College
GHAZIABAD

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागीय प्रभारी को उपरोक्त सूचना छात्राओं के Whatsapp Group में प्रेषित किये जाने हेतु।
2. वेबसाईट प्रभारी को उपरोक्त सूचना वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
3. नोटिस बोर्ड प्रभारी को उपरोक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु प्रेषित।


[प्रो (डॉ०) शिखा सिंह]
Principal
vidyavatiMukandlal Girls College
GHAZIABAD

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक: परि0प्र0/

/2025-26, दिनांक 16/7/2025

कार्यालय आदेश

श्रावण मास दिनांक 11.07.2025 से प्रारम्भ होने तथा मुख्य जलाभिषेक/शिवरात्रि दिनांक 23.07.2025 को होने के कारण गाजियाबाद सीमा से होकर बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर विभिन्न राज्यों/जनताओं यथा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं सीमावर्ती जनपदों को जाते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश दिनांक 15.07.2025 के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के विद्यालयों में बच्चों, बसों के आवागमन व सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जनपद गाजियाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद व अन्तर्गत संचालित समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समस्त माध्यमिक विद्यालय, सी0बी0एस0ई0 व आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थान तथा प्राविधिक शिक्षा से सम्बद्ध समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं उच्च शिक्षण संस्थान तथा मदरसा/संस्कृत बोर्ड के अन्तर्गत संचालित विद्यालय दिनांक 17.07.2025 से 23.07.2025 तक पूर्णतया बन्द रहेंगे।

समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा/संस्कृत बोर्ड के प्राचार्यों/प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(ओ0पी0यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद

पृ0सं0: परि0प्र0/

/2025-26, तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
3. अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, गाजियाबाद।
4. उप जिलाधिकारी, सदर/मोदीनगर/लोनी।
5. जिला विद्यालय निरीक्षण गाजियाबाद।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजियाबाद।
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद गाजियाबाद।
8. समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा/संस्कृत बोर्ड के प्राचार्यों/प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. समस्त सम्पादक दैनिक समाचार पत्र आदि को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना जनहित में अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद